बाल विवाह मुक्त हमारा बिहार

दहेज मुक्त बिहार संकल्प हमारा

समाज कल्याण विभाग के लिए

बाल विवाह एवं दहेज की रोकथाम के लिए टूलकिट

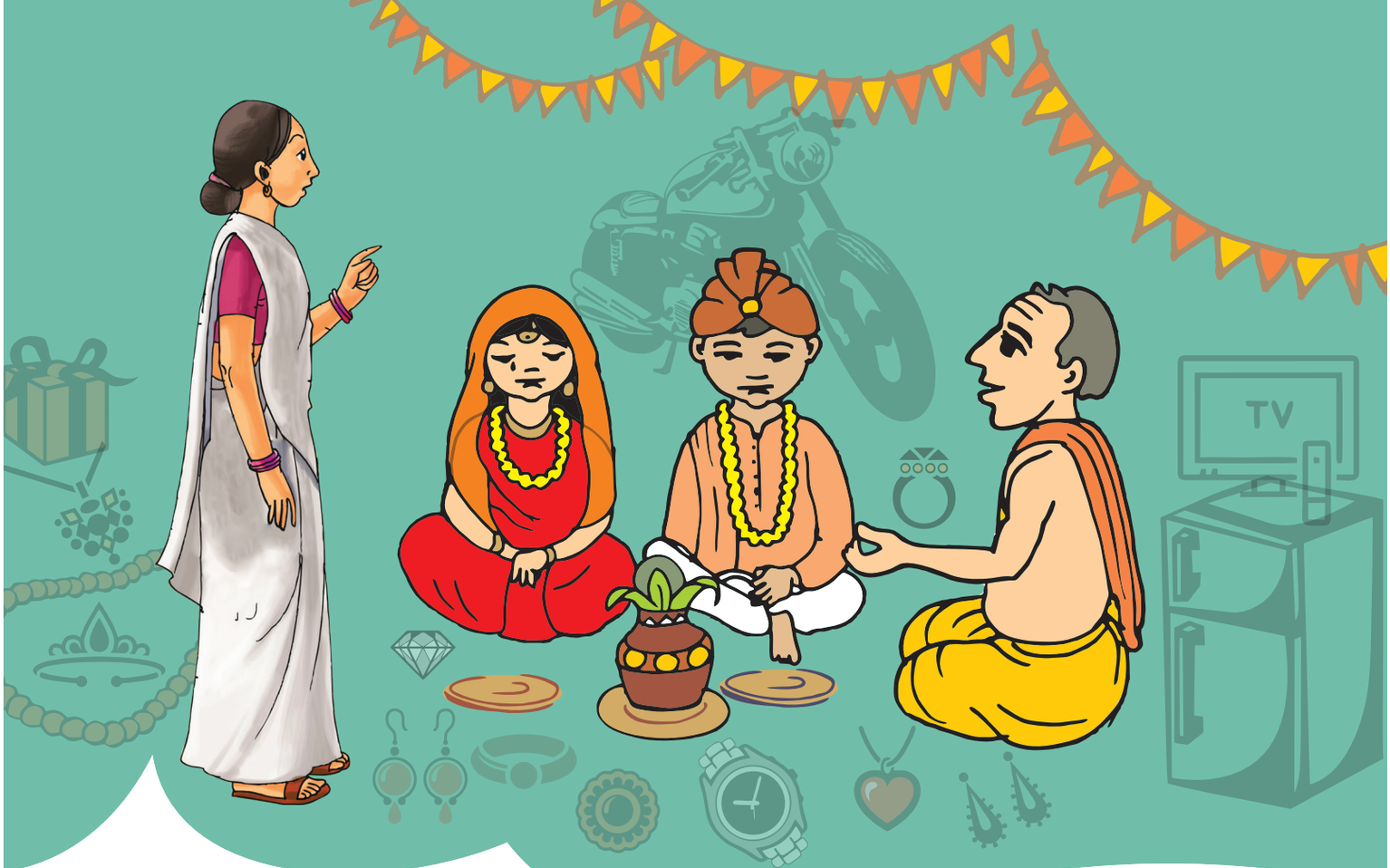

महिला विकास निगम, बिहार
समाज कल्याण विभाग

बिहार सरकार

विषय सूची

सत्र १ : बाल विवाह को रोकना जरूरी क्यों है? 3

सत्र २: दहेज प्रथा रोकना क्यों जरूरी है और इसे कैसे रोका जाये? 3

सत्र ३ : बाल विवाह निषेध अधिकारियों के लिए केस स्टडी (घटना वृतांत) 5

सत्र ४ : मैं क्या कर सकता/ सकती हूँ 6

दहेज क्या है और इसे रोकने के लिए दहेज निषेध अधिकारी की क्या भूमिका है ? 6

उपहार और स्त्रीधन दहेज नहीं माना जाता 6

दहेज निषेध अधिकारी के लिए निर्धारित किये गए कार्य 7

उत्तरदाई और समन्वयकीय भूमिका 7

बाल विवाह क्या है और इसको को संबोधित करने में CMPO, CWC और ADCP की भूमिका क्या है? 8

बाल विवाह के मामले में बाल कल्याण समिति (CWC) और सहायक निदेशक बाल संरक्षण (ADCP) द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया 9

निवारक प्रतिक्रिया / कार्यवाई 9

सुरक्षा पहलू 9

सत्र १ : बाल विवाह को रोकना जरूरी क्यों है?

इस चर्चा के अंत में प्रतिभागी अपने समुदाय में बाल विवाह की वर्तमान स्थिति की पहचान करने और उसको रोकने के महत्व और जरूरत की पहचान करने में सक्षम होंगे।

समय: 60 मिनट

इसका प्रयोग करें: रानी केस स्टडी (घटना वृतांत)।

बाल विवाह की परिस्थिति और इसके वर्तमान प्रसार के बारे में प्रतिभागियों के साथ चर्चा करें। उनके राज्य में इसकी वर्तमान स्थिति के बारे में उनसे जानकारियाँ प्राप्त करें। बाल विवाह पर लागू कानून और उस संबंध में कार्यवाही कर सकने वाले अधिकारियों के बारे में चर्चा करें। उन लोगों के साथ यह अधिकारी किस तरह से काम कर सकतें है।

विचार करें:

- क्या कारण हैं कि माता–पिता अपने बच्चों की, खासकर लड़कियों की कम उम्र में शादी करवा देते हैं?
- बाल विवाह बच्चों को, खासकर लड़कियों को किस प्रकार से प्रभावित करती है?

नीचे दी गयी केस स्टडी (घटना वृतांत) को पढ़ें। प्रतिभागियों के साथ चर्चा करें कि रानी की मदद करने के लिए वे क्या कर सकते हैं और उन्हें किस प्रकार हस्तक्षेप करना चाहिए। रानी के मामले में उनकी भूमिका के महत्व पर चर्चा कीजिए। इसके अलावा, उन लोगों के साथ चर्चा करें कि पियासो की बाल विवाह हो जाने पर किन मौजूदा कानूनों का उल्लंघन हुआ और इस शादी का उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है।

विचार करें:

- यदि रानी की बाल विवाह हो जाती है तो उसके जीवन पर क्या असर होगा?
- उसकी शादी को कैसे टाला जा सकती है?
- इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए आप क्या कर सकते हैं?

फैसिलिटेटर (सहजकर्ता) के लिए नोटः इस बैठक का आयोजन करने से पहले चर्चा के दौरान संदर्भ के लिए नीचे दी गयी केस स्टडी (घटना वृतांत) की पर्याप्त प्रतियाँ बना लें।

सत्र २: दहेज प्रथा रोकना क्यों जरूरी है और इसे कैसे रोका जाये?

उद्देश्य:

- प्रतिभागी दहेज प्रथा के बारे में जानेंगे
- प्रतिभागी जानेंगे कि दहेज और महिलाओं के प्रति हिंसा में क्या सम्बन्ध है
- प्रतिभागी दहेज पर कानून के बारे में जानेंगे

अवधि: 90 मिनट

सामग्री: व्हाइट बोर्ड और मार्कर्स

प्रक्रिया:

1. प्रतिभागियों से पूछें कि क्या उनके समुदाय में दहेज/तिलक की प्रथा है, कौन देता है, और कौन लेता है?
2. तिलक में लेन–देन की बात कौन, कब और कैसे करता है?
3. प्रतिभागियों को 3–4 छोटे समूहों में बाँट दें, उन्हें अपने समूह में एक रोल–प्ले तैयार करने के लिए कहें
   - पहला ग्रुप/समूह तिलक के लेन–देन के बात–चीत को दर्शाएंगे
   - दूसरा ग्रुप/ समूह तिलक के बात–चीत को कैसे रोक सकते हैं यह दर्शाएंगे
   - तीसरा ग्रुप/ समूह यह दिखाएँ कि शादी के बाद भी दहेज की मांग कैसे जारी रहती है
   - चौथा ग्रुप/समूह यह दर्शाएं कि समुदाय के और लोग इस प्रथा को कैसे रोक सकतें है?
4. सहजकर्ता नीचे दिए गए तालिका को व्हाइट बोर्ड पर बना लें :

प्ले में क्या दर्शाया?	इस में किस तरह के हिंसा को दिखाया गया?	हिंसा कौन कर रहा था?	हिंसा किस के साथ हो रही थी?	इन पर हिंसा का क्या प्रभाव पड़ा?	इन के कौन से अधिकारों का हनन हुआ?	इस को रोकने के लिए किन के साथ काम कर सकतें हैं? किस तरह का काम कर सकतें हैं?

5. हर एक रोल–प्ले के बाद ऊपर दी गयी तालिका को भरें और इसके आधार पर चर्चा करें।
6. सत्र के अंत में तालिका के बिंदुओं पर चर्चा करते हुए दहेज प्रथा और महिलाओं के प्रति हिंसा के सम्बन्ध को समझाएं।
7. साथ ही यह भी चर्चा करें की इसका लड़कियों और महिलाओं के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है।

चर्चा के कुछ बिंदु:

- इन सभी स्थितियों में हिंसा किसके साथ हो रही है?
- हिंसा करने वाले कौन थे? जिस के साथ हिंसा हो रही है क्या यह उनके जान–पहचान के लोगों में से हैं?
- जिनके साथ हिंसा हो रही है उन पर हिंसा का क्या प्रभाव पड़ सकता है?
- ऐसी कौन सी बातें हैं जो हर रोल–प्ले में एक जैसी थी?
- इस तालिका से हमें क्या पता चलता है?
- दहेज को रोकने के लिए किसके साथ, और किस तरह का काम कर सकते हैं?
- हमारा कानून क्या कहता है?

सहजकर्ता के लिए नोट्स:

ज्यादातर हिंसा के घटनाओं में लड़की/ महिलाएं, उनके परिवार के सदस्य या उनके बच्चे प्रभावित होते हैं। पितृसत्ता के वजह से लड़की के परिवार वालों का दर्जा समाज मे कम माना जाता है। इसके अलावा, अक्सर हिंसा करने वाले महिला या लड़की

के परिवार वाले, रिश्तेदार या जान–पहचान के होतें हैं। इस कारणवश उसके खुद का घर उसके लिया असुरक्षित बन जाता है। इसलिए, वह और कमजोर पड़ जाती है। उसके पास सुरक्षा पाने के सम्बन्ध में जानकारी का अभाव होता है तथा उसकी संसाधन इत्यादि तक पहुँच भी सिमित ही होती है, जो कि हिंसा मुक्त जीवन जीने का आधार होते हैं।

नीचे दी गयी तालिका में रोल–प्ले और चर्चा से निकली हुई बातों का उदाहरण हैं:

प्ले में क्या दर्शाया?	इस में किस तरह के हिंसा को दिखाया गया?	हिंसा कौन कर रहा था?	हिंसा किस के साथ हो रही थी?	इन पर हिंसा का क्या प्रभाव पड़ा?	इन के कौन से अधिकारों का हनन हुआ?	इस को रोकने के लिए किन के साथ काम कर सकतें हैं? किस तरह का काम कर सकतें हैं?
यहाँ पर रोल–प्ले में दर्शायी गयी घटना को लिखें जैसे कि दहेज के लेन–देन की बात कौन और किसके साथ कर रहें हैं इत्यादि	मौखिक शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, यौनिक हिंसा इत्यादि	पिता, भाई, चाचा, दादा, दादी, बहन, मां, ससुर, सास, देवर इत्यादि	बेटी, बहन, दीदी इत्यादि	शादी नहीं हुई, पढ़ाई रोक दी गयी, शादी के बाद भी हिंसा सहना पड़ा, लड़की का आत्मा–विश्वास कम होना, इत्यादि	यहाँ जिन अधिकारों का हनन हुआ है, उनके नाम लिखें	

सत्र ३ :बाल विवाह निषेध अधिकारियों के लिए केस स्टडी (घटना वृतांत)

निम्नलिखित केस स्टडी (घटना वृतांत) का इस्तेमाल यह पूछने के लिए किया जा सकता है कि परिणाम को बदलने में वह किस प्रकार मदद कर सकते है। नीचे दिए गए प्रश्न, उत्पन्न हो रही बाधाओं से निपटने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए सुझाव के रूप में दिए गए हैं।

रानी हेसापिडी गांव के निवासी बुद्ध महतो और जवा देवी की 12 साल की बेटी है। रानी अनपढ़ है और कभी भी स्कूल नहीं गयी है।

दहेज के डर से, यौवन की शुरुआत में ही युवा बेटियों की शादी कर देना हेसापिडी गांव में एक आम बात है। गांव वालो को लगता है की जल्दी शादी कर देने से कम दहेज देना पड़ेगा। चूंकि इसका विरोध करने के लिए कोई आवाज नहीं उठता है, इसलिए यह प्रथा काफी बड़े पैमाने पर प्रचलन में है।

इस तरह के एक अंधकारमय परिदृश्य में, 12 वर्षीय रानी की शादी 20,000 रुपये की दहेज राशि के बदले में नवंबर 2013 में गया के एक 28 वर्षीय व्यक्ति के साथ कर दी जाती है। अनपढ़ और बाल्यावस्था में होने के नाते, रानी पूर्ण रूप से यह समझने में असमर्थ थी कि प्रस्तावित विवाह का असर उसकी जिन्दगी में क्या प्रभाव लायेगा।

गांव में रानी के आसन्न शादी की घोषणा की जाती है, जिसके बारे में सरपंच और बाल विवाह के खिलाफ काम करने वाले एक स्थानीय गैर सरकारी संगठन के साथ प्रशिक्षित महिलाओं के स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) द्वारा भी सुना जाता है। स्वयं सहायता समूह के सदस्य कार्यवाई करने और रानी की शादी को रोकने का फैसला करते हैं। वह पंचायत मुखिया, श्री रमेश सिंह, के सहयोग से पुलिस और स्थानीय मीडिया को घटना की सूचना देते हैं। जल्द ही, अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है।

बाल विवाह के नकारात्मक परिणामों पर बढ़ी हुई जागरूकता और ज्ञान ग्रामीणों (मुखिया, स्वयं सहायता समूह के सदस्य, पुलिस, आदि) की धारणा को बदलने में मददगार रहे हैं। उस गांव में बाल विवाह को रोकने के लिए पहली बार कार्यवाई की गयी थी, जिसने गांव और आसपास के इलाकों में इस तरह की घटनाओं का सामना होने पर कार्यवाई करने के लिए अन्य समुदाय के सदस्यों के लिए एक मिसाल कायम की है।

चर्चागत प्रश्न:

- एक बाल विवाह निषेध अधिकारी के रूप में, आप रानी के पिता से क्या कहते?
- क्या आपको लगता है कि आप के लिए गांव के लोगों के खिलाफ कार्यवाई करना आसान था?
- रानी के बाल विवाह करने वाले अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही को पूरा करने के लिए किस प्रकार अतिरिक्त समर्थन प्राप्त किया था?

सत्र ४ : मैं क्या कर सकता/ सकती हूँ

इस सत्र के अंत में सभी प्रतिभागी बाल विवाह और उससे संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए वे क्या कर सकते हैं, इसकी सूची बनाने में सक्षम हो जाएँगे।

समय: ६० मिनट

इसका प्रयोग करें: लैपटॉप, प्रोजेक्टर, एक्सटेंशन कार्ड, स्पीकर (अनिवार्य नहीं), मानक संचालन प्रक्रिया पर प्रेजेंटेशन / चार्ट पेपर में लिखित मानक संचालन प्रक्रिया

विचार करें:

प्रतिभागियों के साथ चर्चा करें कि वे पंचायती राज सदस्य के तौर पर क्या कर सकते है। चर्चा के पश्चात मानक संचालन प्रक्रिया प्रेजेंटेशन करें या फिर चार्ट पेपर में लिखित मानक संचालन प्रक्रिया के द्वारा भी प्रतिभागियों से चर्चा करें।

फैसिलिटेटर (सहजकर्ता) के लिए नोट

दहेज क्या है और इसे रोकने के लिए दहेज निषेध अधिकारी की क्या भूमिका है ?

दहेज–से कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति अभिप्रेत है जो विवाह के समय या उसके पूर्व या पश्चात किसी समय

- विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को या
- विवाह के किसी भी पक्षकार के माता–पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के लिए दुसरे पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को,

उक्त पक्षकारों के विवाह के संबंध में या तो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः दी गई है या दी जाने के लिए करार की गई है।। परन्तु जिन व्यक्तियों पर मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) लागू होता है उनके मेहर की रकम इसके अंतर्गत नही आती है।

उपहार और स्त्रीधन दहेज नहीं माना जाता

स्त्रीधन वह संपत्ति है जो किसी महिला को उसके शादी के बाद या शादी के समय प्राप्त हुई या दी गई है। यह एक स्वैच्छिक उपहार है। स्त्रीधन और किसी भी उपहार में जबरन का कोई तत्त्व नहीं है, दोनों देने वाले की इच्छा से और उनके समर्थ के अनुसार दी जाती है।

दहेज निषेध अधिकारी के लिए निर्धारित किये गए कार्य

रोकथाम के कार्य

1. दहेज निषेध अधिकारी (DPO) शिविर आयोजित करके, सूचना और प्रसारण विभाग, पंचायत समितियों व अन्य मीडिया माध्यम से लोगों के बीच दहेज के मुद्दे पर जागरूकता फैलाएगा, तथा दहेज पर रोकथाम के लिए स्थानीय लोगों को भी इस मुहीम में शामिल करेगा।
2. DPO विनयपूर्वक दहेज पीड़ित परिवारों की उचित देखभाल करते हुए, परिवार की गोपनीयता व गरिमा को बरकरार रखते हुए तथा रिश्तों के बीच सामंजस्य को बनाए रखते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।
3. दहेज निषेध अधिकारी का प्राथमिक कार्य दहेज को रोकना व इसके सम्बन्ध में आई शिकायतों का निवारण करना है। DPO द्वारा अभियोग चलने की सिफारिश तभी की जाएगी जब दहेज रोकने के अन्य सभी उपाय और पहल अप्रभावी पाए जायेंगे अथवा पार्टियां निर्धारित समय के भीतर आदेश या निर्देशों का अनुपालन न करें।

उत्तरदाई और समन्वयकीय भूमिका

1. DPO किसी भी पीड़िता/अथवा उसके मातापिता अथवा पीड़िता के अन्य रिश्तेदारों अथवा मान्यता प्राप्त लोककल्याणकारी संस्थानों/ संगठनों से शिकायत प्राप्त करने के बाद कार्यवाई करेगा। यह शिकायत DPO के कार्यालय में किसी व्यक्ति, सन्देश वाहक अथवा असाधारण डाक (जैसे कि स्पीड पोस्ट) के जरिये भेजा जा सकता है।
2. DPO यह पता लगाने के लिए कि क्या दहेज निषेध अधिनियम / नियम के प्रावधानों का कोई उल्लंघन हो रहा है, और उसके सम्बन्ध में पूछताछ करने के लिए औचक निरिक्षण करेगा।
3. DPO सभी शिकायतों का रिकॉर्ड, उनकी जांच–पड़ताल करने और उनको नतीजे तक पहुँचाने के लिए की जाने वाली कार्यवाईयों व निर्धारित फॉर्म नंबर–1 में भरे गए अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं को एक रजिस्टर में दर्ज करेगा। अधिकारी प्रत्येक मामले से सम्बंधित सभी उपयोगी रिकार्डों को एक साथ रखने के लिए एक अलग फाइल बनाएगें।
4. DPO सलाहकार बोर्ड के सदस्य सचिव / संयोजक के रूप में कार्य करेगा। वह सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के साथ उनसे आवश्यक सलाह और मदद लेने के लिए लगातार संपर्क में रहगा। वह आवश्यकतानुसार जिला मजिस्ट्रेट अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी अन्य व्यक्ति को इस अधिनियम के संचालन से संबंधित सभी मामलों के बारे में सूचित करेगा।
5. DPO पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई शादी में उपस्थित लोगों द्वारा दिए गए सभी उपहारों की सूची को अपने निगरानी में रखेगा और इसके अलावा उपहारों के नामों को मामले से सम्बंधित रिकॉर्ड रजिस्टर में चढ़ाएगा। DPO इन सूचियों का निरिक्षण करेगा और और दहेज निषेध (दुल्हन और दूल्हा को मिले उपहारों की सूची) नियम, 1985 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
6. दहेज निषेध अधिकारी द्वारा प्राप्त इस प्रकार की सभी शिकायतों को क्रमवार दर्ज किया जाएगा और प्रत्येक शिकायत को एक नंबर दिया जाएगा। और यह संलग्न फार्म नंबर 2 के नियमों के अनुसार एक रजिस्टर में विधिवत लिखा जाएगा।
7. दहेज निषेध अधिकारी शिकायत की जांच करेंगे और यदि यह पाया जाता है कि शिकायत की प्रकृति और गंभीरता (अंतर्वस्तु) अधिनियम की धारा 3 अथवा 4 अथवा 4A अथवा 5 अथवा 6 के अंतर्गत आता है तो वह प्रमाण इकठ्ठा करने के लिए शिकायत के तथ्यों की रोशनी में पक्षकारों से तत्काल पूछताछ शुरू करेंगे।
8. दहेज निषेध अधिकारी अधिनियम के तहत प्राप्त किये गये शिकायतों और उनपर की गयी कार्यवाही अथवा फॉर्म संख्या –2 से संबद्ध नियमों के तहत निबटाये गए मामलों की तिमाही रिपोर्ट मुख्य दहेज निषेध अधिकारी को भेजेंगे। दहेज निषेध अधिकारी ऐसे विवरण या रिपोर्ट जरुरत के अनुसार समय–समय पर मुख्य दहेज निषेध अधिकारी या सरकार को भेज सकते हैं।
9. दहेज निषेध अधिकारी मौके पर जाकर जांच करेगा और जाँच में पक्षकारों अथवा गवाहों से मौखिक या लिखित रूप में सबूत इकट्ठा कर सकता है। वह पक्षकारों अथवा गवाहों के लिए बहुत अधिक असुविधा या कठिनाई पैदा किये बिना, उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए उनके लिए सुविधाजनक स्थान पर अथवा अपने कार्यालय में सुनवाई आयोजित कर सकता है।

10. दहेज निषेध अधिकारी फार्म–3 में संलग्न नियमों के तहत पक्षकारों और गवाहों को समन जारी करके सुनवाई की तारीख, समय और जगह के बारे में सूचित करेगा।

11. हर याचिका की जांच होनी चाहिए और उसके दाखिल होने के 1 महीने के अंदर उसे सुना तथा तथ्यों को खंघाला जाना जाना चाहिए।

12. शिकायत अथवा याचिका के सुनवाई की तारीख निर्धारित हो जाने के बाद से, अथवा किसी भी अन्य तारीख तक सुनवाई स्थगित हो जाने पर, यदि शिकायत कर्ता/याचिका कर्ता के तारीख पर न आने की स्थिति में दहेज निषेध अधिकारी अपने विवेक से उनकी अनुपस्थिति को कारण बनाते हुए या तो शिकायत/याचिका को खारिज कर सकता है अथवा उसकी गंभीरता/मेरिट को ध्यान में रखते हुए सुनवाई को जारी रख सकता है, जो कि मामले से सम्बंधित फाइल में दर्ज किया जाएगा।

13. दहेज निषेध अधिकारी दहेज निषेध अधिनियम के तहत शिकायत, याचिका या आवेदन से संबंधित सूचना एकत्रित करने अथवा पूछताछ करने के क्रम में अथवा कार्यवाही के किसी भी चरण में सहयोग पाने के लिए जिला परिवीक्षा अधिकारी या अतिरिक्त जिला परिवीक्षा अधिकारी या सिटी परिवीक्षा अधिकारी की सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है।

14. दहेज निषेध अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार होने पर, परिवीक्षा अधिकारी मामले में जरूरी छानबीन कर सूचना एकत्रित करेंगे और तत्परता के साथ वे सूचनाएं दहेज निषेध अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

15. दहेज उस महिला की जगह जो दहेज निषेध अधिनियम की धारा 6 के तहत इसके लिए हकदार है, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, और उस महिला के तरफ से दहेज उसे न हस्तांतरित होने की शिकायत दहेज निषेध अधिकारी से की जाती है, तो दहेज निषेध अधिकारी पक्षकारों को निर्धारित समय में दहेज हस्तांतरित करने का निर्देश जारी करेगा।

16. DPO को विशेष तौर पर यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके अधिकार क्षेत्र में होने वाली शादी में, वह अथवा उसके स्टाफ के सदस्य यह देखने के लिए शादी का दौरा करें कि, अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हो रहा हो।

17. दहेज निषेध अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में होने वाले विवाहों या प्रस्तावित विवाह के संबंध में अधिनियम के प्रावधान का पालन न करने के संबंध में जरुरी पूछताछ करेगा।

18. DPO अपने अधिकार क्षेत्र में होने वाले वाले बहुत सारे विवाहों के सम्बन्ध में उचित माध्यमों से पता लगायेगा, और इस बात की पुष्टि करेगा कि अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया जा रहा है और उनका उल्लंघन नहीं हो रहा है।

19. दहेज निषेध अधिकारी द्वारा अधिनियम के तहत पूछताछ करने के दौरान अथवा जब वह पूछताछ के मकसद से किसी शादी का दौरा कर रहा है, तो वह किसी पुलिस अधिकारी अथवा किसी अन्य अधिकारी की मदद ले सकता है। पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य बनता है कि वह दहेज निषेध अधिकारी के लिए सुरक्षा सम्बन्धी जरूरी सभी जरूरतों को पूरा करे।

20. DPO अधिनियम के तहत दर्ज कराये गये मामले की जांच करने और कोर्ट की सुनवाई में पुलिस की मदद करेगा।

21. DPO अधिनियम के तहत प्राप्त मामलों से सम्बंधित अपना कार्य करने के दौरान सलाहकार बोर्ड से मार्गदर्शन लेता रहेगा।

22. दहेज निषेध अधिकारी (सलाहकार बोर्ड का सदस्य सचिव / संयोजक) को सलाहकार बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही (मीटींग मिनट्स) की एक प्रति, मीटिंग में हुई बातचीत पर जानकारी साझा करने व आवश्यक कार्यवाही के लिए, मीटिंग की तारीख से 15 दिन के भीतर राज्य सरकार को CC करते हुए जिला अधिकारी को भेजना होगा।

23. DPO राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में सौंपे गए अन्य जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करेगा।

बाल विवाह क्या है और इसको को संबोधित करने में CMPO, CWC और ADCP की भूमिका क्या है?

बाल विवाह - 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और / या 21 वर्ष से कम आयु के लड़के की शादी न केवल कानून के खिलाफ जाता है बल्कि यह मानवाधिकारों का भी उल्लंघन करता है। यह बच्चों (विशेष रूप से लड़कियों) के हर प्रकार के विकास के लिए घातक है।

बाल विवाह निषेध अधिनियम (PCMA), 2006, बाल विवाह निषेध अधिकारी (CMPO) की नियुक्ति का प्रावधान प्रदान करता है और यह बाल विवाहों की दर्ज मामलों या शिकायतों के निबटारे के लिए एक प्रक्रिया और तंत्र भी स्थापित करता है। ऐसे मामले सामने आये हैं जहां स्थानीय पुलिस मशीनरी के साथ साझेदारी में अधिकारियों द्वारा साहसिक कार्यवाई के परिणामस्वरूप स्थाई परिवर्तन हुआ है। यहाँ ऐसे कई स्तर के विभागीय संरचना है जिनकी सहायता PCMA द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में लिया जा सकता है।

- समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS) के तहत अब राज्य से गांव के स्तर तक विभागीय संरचनाएं और तंत्र मौजूद हैं जिन्हें बाल विवाह रोकने में भागीदार बना सकते हैं। इसमें बाल कल्याण समिति (CWC), बाल न्याय बोर्ड (JJB), चाइल्ड–लाइन (1098), विशेष किशोर पुलिस यूनिट (SJPU), जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) और राज्य में फैले बच्चों के लिए काम करने वाली विभिन्न संस्थायें शामिल हैं। आप उनसे संपर्क करके जिला भर में फैले हुए मानव संसाधन के इस विशाल नेटवर्क से सहयोग लेने की संभावनाओं की तलाश कर सकते हैं।
- विभिन्न सरकारी विभागों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल और युवा मामलों, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय आदि विभागों के साथ और स्थानीय नेताओं, पुजारियों और शिक्षकों में साथ मिलकर काम करें। ये सभी विभाग मानव और वित्तीय संसाधनों के साथ आपकी मदद कर सकते हैं। एक साथ कार्य करने से एक मजबूत नेटवर्क विकसित होगा जो किसी भी हस्तक्षेप, अभियान, कार्यक्रम आदि के प्रभाव को बढ़ा देगा।

बाल विवाह के मामले में बाल कल्याण समिति (CWC) और सहायक निदेशक बाल संरक्षण (ADCP) द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया

निवारक प्रतिक्रिया / कार्यवाई

1. CWC बाल विवाह के सभी मामलों को बच्चों के देखरेख और सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखेगा तथा बच्चों की सहायता और अभिरक्षा के मामले में उनके के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए शादी को बरकरार रखने या फिर समाप्त करने का निर्णय लेगा
2. यदि एक बच्चे की शादी होने वाली है, तो CWC का पहला कर्तव्य शादी को रोकने के लिए कार्यवाई शुरू करना है
3. CWC द्वारा CMPO / ग्राम सेवक को शादी रोकने का निर्देश दिया जा सकता है, जिसके पास शादी रोकने के लिए पुलिस अधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां होती हैं
4. CWC को बाल विवाह अधिनियम 2006 के तहत आदेश के माध्यम से उपयुक्त अधिकारियों को नियुक्त करने की आवश्यकता होती है जो सुनिश्चित कर सकें कि अपराधियों को उचित दंड मिले और निर्धारित जुर्माना उनसे वसूल किया जाए
5. शादी को रोकने के लिए प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन भी दायर किया जा सकता है
6. यदि कोई शादी किसी एक CWC के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो रही है तो वह किसी अन्य दुसरे CWC की सहायता लेकर शादी रुकवा सकती है

सुरक्षा पहलू

1. यदि शादी हो चुकी है तब CWC का पहला काम इस बात का पता लगाना होता है कि जेA जेA अधिनियम के अंतर्गत दी गई परिभाषा के अनुसार विवाहित बच्चे की श्रेणी में आता/आती है अथवा नहीं। आयु के सत्यापन के लिए CWC अधिनियम की धारा 49 के तहत आदेश दे सकता है।
2. इस बात का पता चलने के बाद कि विवाहिता/विवाहित बच्चे की श्रेणी में आती/आता है अर्थात उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है तथा उसे देखरेख और सुरक्षा की जरूरत है, CWC द्वरा बच्चे को, खास कर उस स्थिति में जहां पर शादी निरस्त हो जाय, अपने संरक्षण में ले लेना चाहिए।

3. एक ऐसी शादी के सन्दर्भ में जहां बच्चे लगभग 18 साल की उम्र के हों, CWC सुरक्षा अधिकारी के माध्यम से उनके माता–पिता को सलाह देने के लिए बुला सकता है।

4. गैर–सरकारी संगठनों और पंचायत की भागीदारी के माध्यम से और सामुदायिक कार्यवाहियों में परिवारों से एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कराकर, परिवारों को इस बात के लिए मनाया जा सकता है कि लड़की की 18 वर्ष और लड़के का 21 वर्ष की आयु पूरी होने तक बच्चों की शादी नही होगी और वे अपने परिवार के साथ ही रहेंगे।

5. CWC को यह निश्चित करने की जरूरत होती है कि सवालों के घेरे में आई शादी की घटना घटित हुई है या नही। इन दोनों स्थतियों का निर्धारण करने के लिए, CWC को पुलिस की जांच–पड़ताल व उसके निष्कर्षों, बाल विवाह निषेध अधिकारी की रिपोर्ट और बच्चे के साथ बातचीत तथा बच्चों द्वारा बताये गए तथ्यों पर भरोसा करना चाहिए।

6. अगर बच्चे को शादी के लिए बाध्य किया गया है तो CWC इसकी जांच कर सकती है तथा बच्चे को उसके इस अधिकारों के बारे में जानकारी दे सकती है कि बाल विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह को रद्द करने योग्य है।

7. लड़की के मामले में उसके रखरखाव के अधिकार की सुनिश्चितता CWC द्वारा की जायेगी।

8. CWC इस प्रकार के विवाह से जन्मे बच्चे को जन्म देने वाली उसकी नाबालिग माँ के साथ अपनी निगरानी में रखने के लिए अधिकृत है। CWC बच्चे और माँ दोनों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले सकता है।

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग